

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- /दो-380 (57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2020-21

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सूचना निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, 22-पार्क रोड़, लखनऊ।

/दिनांक फरवरी, 27/2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर नोटिस के सम्बंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति संख्या.....25141...../दो-380 (57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2020-21/दिनांक.....27/2/2020...का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त विज्ञप्ति की एम0एस0 वर्ड फाइल एवं पी0डी0एफ0 फॉर्मेट की फाइल पैन ड्राइव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा आज दिनांक.....27/2/2020...को इन फाइलों को आपके विभाग के ई-मेल upsoochna@gmail.com पर भी प्रेषित कर दिया गया है।

उक्त विज्ञप्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर से संबंधित है। अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 03.03.2020 के पूर्व सभी प्रमुख समाचार पत्रों के प्रदेश के सभी संस्करणों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या- 25143 /दो-380 (57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2020-21/तददिनांक।

प्रतिलिपि सहायक आबकारी आयुक्त (टास्कफोर्स)/वेब मास्टर को विज्ञप्ति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in के होमपेज पर अपलोड एवं प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या- 25/4

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

/दो-380(57) ए/खण्ड-5/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/ई-टेंडर/2020-21/दिनांक फरवरी 27/2020

ई-टेंडर नोटिस

(वर्ष 2020-21 में भांग की थोक आपूर्ति हेतु ई-टेंडर)

वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के विभिन्न प्रभागों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति हेतु टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 20.2.2020 को खोला गया, परन्तु प्राप्त निविदाओं में से मेरठ एवं देवीपाटन प्रभाग के लिए कोई टेंडर प्राप्त न होने के कारण इन दोनों प्रभागों के लिए टू बिड सिस्टम पर NIC के वेब पोर्टल www.etender.up.nic.in के माध्यम से पुनः ई-टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। एक टेंडर फार्म पर दो प्रभागों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों के लिए भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेंडर टिया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक टेंडर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक ई-टेंडर के साथ रूपया 10,000/- (दस हजार) की धरोहर धनराशि का शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/डाकखाने के नेशनल सेविंग सर्विफिकेट/पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ० प्र० के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में इसकी पीडीएफ स्कैन फाइल अपलोड की जायेगी तथा उसकी मूलप्रति कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भवन, विमूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में तकनीकी बिड टेंडर खुलने से पूर्व जमा करनी होगी। ई-टेंडर में प्रतिभाग करने के लिये आवेदक के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

ई-टेंडर स्वीकृति की सूचना मिलने पर ई-टेंडरदाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रूपया 25,000/- (पचीस हजार) धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई०डी०-3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- 1- निविदादाता द्वारा आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/- (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग एकाउन्ट के पास-बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेंट की प्रति को ई-टेंडर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा।
- 2- अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- 3- राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण अपलोड करना होगा।
- 4- रूपया 10/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
- 5- धरोहर धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति आदि) अपलोड करना होगा।
- 6- पैन, वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख अपलोड करना होगा।
- 7- वर्ष 2019-20 के जिन थोक भांग आपूर्तिकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपलोड करना होगा कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट भांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है, जो संतोषजनक है। अन्यथा की स्थिति में आपूर्तिक इस आशय का एक शपथ-पत्र ई-टेंडर के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त भांग की आपूर्ति संबंधित जनपद को 15.03.2020 तक कर देगा।
- 8- वर्ष 2020-21 के लिए चयनित आवेदक को आई०डी०-3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रणीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/- (पचीस हजार) की सावधि जमा रसीद अपलोड करना होगा।

ई-टेंडर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत है:-

Tender Publish Date on Website www.etender.up.nic.in	03.03.2020
Documents Download Start Date	03.03.2020 :: 10.00AM
Clarification Start Date	03.03.2020
Prebid Conference	13.03.2020 :: 11.00AM
Clarification End Date	14.03.2020
Documents Download and Submission End Date	14.03.2020 :: 12.00Noon
Technical Bid Opening Date	14.03.2020 :: 1.00PM
Financial Bid Opening Date	14.03.2020 :: 5.00PM

आई०डी०-2 प्रपत्र फाइनेशियल बिड के अन्तर्गत तथा अन्य समस्त अभिलेख (बिन्दु 1 से 7 के अनुसार) तकनीकी बिड के अन्तर्गत अपलोड किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ० प्र० को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।

प्राप्त ई-टेंडर की टेक्निकल बिड दिनांक 14-03-2020 को ही अपराह्न 01 बजे तक फाइनेशियल बिड अपराह्न 05.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के समक्ष कैम्प कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ० प्र०, प्रथम तल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भवन, विमूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में खोले जायेंगे एवं प्री-बिड कान्फेन्स भी इसी स्थान पर आयोजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु प्रभारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

प्रभार का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित अधिकतम थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रू० में)
1- मेरठ व देवीपाटन प्रभागों के जनपदों के लिए	19/-

(पी०गुरु प्रसाद)

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश